न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
राजस्व लोक अदालत केम्प – अटल सेवा केन्द्र पोमावा
पीठासीन अधिकारी– श्री महीपाल भारद्वाज, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 53/2007
दायरा तिथि 21.06.2007
फैसला तिथि 26.05.2016

वादीगणः–
1–भबूताराम पुत्र जसाजी
2–उम्मेदाराम पुत्र जसाजी
जातिगण घांची निवासीगण पोमावा तहसील सुमेरपुर

बनामः

प्रतिवादीगणः–
1–मूपाराम पुत्र कानाजी जाति मीणा निवासी पोमावा तहसील सुमेरपुर
2–राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट,1955

–: फै स ला :–

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र पोमावा में बरोज आज पेश हुई। वादीगण मय अधिवक्ता व प्रतिवादी तहसीलदार सुमेरपुर उपस्थित। प्रश्नगत् मामले में वादगस्त भूमि बाबत् गत् एवं हाल राजस्व रेकर्ड तथा मौका स्थिति की जांच रिपोर्ट पेश की जिसे रेकर्ड पर लिया गया। हमने, पक्षकारान की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। वाद–विषयक स्थिति अनुसार सरहद मौजा पोमावा तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नं 254 रकबा 0.08 हेक्टर व खसरा नं. 255 रकबा 3.07 हेक्टर के 1/4 हिस्से में प्रतिवादी सं.01 का नाम दर्ज होने से इनके स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित करने व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु यह वादपत्र कतिपय प्रावधानों के तहत प्रस्तुत किया है, साथ ही दस्तावेज क्रमशः जमाबंदी संवत् 2054–57, मिलान क्षेत्रफल, रा.वि. 797/1983 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.09.1993 व रा.वा. 45/1979 में पारित निर्णय दिनांक 02.06.1980, भू–प्रबंध विभाग का पर्चा नोटिस, पर्चा लगान, पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 17.05.1977, पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 10.06.1967, खसरा गिरदावरी संवत् 2015, 2019–22 व रसीदात इत्यादि की छाया प्रतियां प्रस्तुत की है।

(2) कि प्रश्नगत् मामला पंजीबद्ध किया गया एवं आदेश तालिका दिनांक 22.12.2007 के अनुसार प्रतिवादी सं.01 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। शहादत वादीपक्ष में वादी उम्मेदाराम द्वारा शपथपत्र (बयान पी.डब्लू.–1), गवाह मालमसिंह पुत्र हीरसिंह राजपूत निवासी पोमावा का शपथपत्र (बयान पी.डब्लू.–2), गवाह हजारीमल पुत्र ओटाजी घांची निवासी पोमावा का शपथपत्र (बयान पी.डब्लू.–3) व वादी भबूताराम का शपथपत्र (बयान पी.डब्लू.–4) पेश होने पर इन्हें रेकर्ड पर लिए गये। वादी उम्मेदाराम ने अपने शपथपत्र (बयान पी.डब्लू.–1) में दस्तावेज प्रदर्श–01 लगाय 22 को प्रदर्शित किया है। प्रतिवादी सं.02 तहसीलदार ने दलील में वाद तथ्यों को नकारते हुए वादीगण का वादपत्र विधि विरूद्ध होने से इसे खारिज करने की प्रार्थना की है।

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

(3) कि चूंकि, पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि के अवलोकन एवं परीक्षण करने के पश्चात् हमने पाया है कि राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादग्रस्त कृषि भूमि से संबंधित खातेदार प्रतिवादी सं.01 मूपाराम का 1/4 हिस्सा खातेदारी का दर्ज है जिसकी जाति मीणा दर्ज होने से यह व्यक्ति नियमानुसार अनुसूचित जन जाति का सदस्य है एवं वादीगण की जाति घांची होने से ये सवर्ण जाति के सदस्य है। इस प्रकार की विधिक स्थिति में वादग्रस्त भूमि बाबत् राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रतिवादी सं. 01 मूपाराम मीणा के खातेदारी 1/4 हिस्से के स्थान पर वादीगण किसी प्रकार से अथवा विधि के परिपेक्ष्य में प्रथमतः खातेदारी पाने के हकदार नहीं बनते है और यदि वादीगण प्रश्नगत् वादपत्र स्वीकार किया जाता है तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में अन्तर्गत प्रतिपादित धारा 175 के प्रावधानों का स्पष्टतया उल्लंघन होगा। इसलिए हमारी विधिक राय है कि वादीगण का यह वादपत्र प्रथम दृष्टया विधि अनुरूप नहीं होने से इसे सव्यय खारिज करना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण एवं विवेचित तथ्यों के परिणामतः सरहद मौजा पोमावा तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नं 254 रकबा 0.08 हेक्टर व खसरा नं. 255 रकबा 3.07 हेक्टर में दर्ज प्रतिवादी सं.01 मूपाराम मीणा के 1/4 हिस्से के स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित करने व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति के बारे में वादीगण का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रथमतः विधि विरूद्ध होने से इसे सव्यय खारिज किया जाता है। पक्षकारान खर्चा अपना–2 वहन करे। माफिक फैसला डिक्री–पर्चा जारी हो।

यह फैसला बरोज आज दिनांक 26.05.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र पोमावा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी * सुमेरपुर, जिला-पाली (राजस्थान) *

Scanned by CamScanner